न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) ।

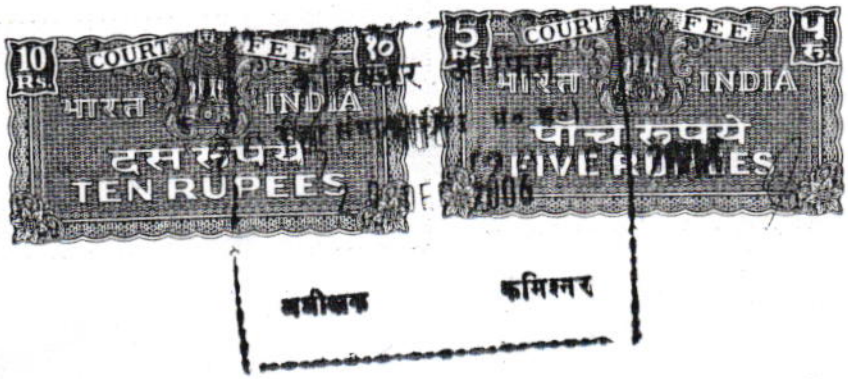

TEN RUPEES दस रुपये COURT FEE INDIA भारत

FIVE RUPEES पाँच रुपये COURT FEE INDIA भारत

अधीक्षक कमिश्नर

R 2419-III/06

1- सनत कुमार तनय श्री रामसिया पटेल, उम्र 45 वर्ष,

2- श्रीमती मनरजुआ पत्नी रामसिया पटेल, उम्र 65 वर्ष,

---- दोनों निवासी ग्राम मोहनिया, तहसील चुरहट, जिला सीधी म.प्र. ----- आवेदक / निगरानी कर्ता गण ।

बनाम

श्रीमती किशना पत्नी जमुना प्रसाद पटेल, निवासी ग्राम कुस्परी, पो. पिलरी, हाल मुकाम पथोखर, तहसील चुरहट, जिला सीधी म.प्र. ।

----- अनावेदक / गैर निगरानकार ।

Presented by Shri बाल्मीक प्रसाद द्विवेदी Advocate/Applicant on 20/12/2006

Reader

Supdt. 20/12/06
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा - संभाग रीवा म.प्र., प्रकरण क्र. 1 अपील / 06-07, आदेश दिनांक 3.10.06.

मुताबिक धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है ।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील के साथ जो धारा 5, म्याद अधिनियम व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2419–तीन/2006 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र.क्र. 1/अपील/06–07 में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि आवेदक ने अनुविभागीय के न्यायालय में संहिता की धारा 5, म्याद अधिनियम का आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर उसमें आदेश की जानकारी न होने का जो कारण बताया था, वह समुचित क्यों नहीं इस पर बिना विचार किये दायरा बिन्दु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । यदि आवेदकगण को सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल क्र0 5 के आदेश की सूचना नहीं, तक भले ही आदेश के कई वर्षों बाद भी अपील प्रस्तुत की गई हो, किन्तु जानकारी न होने तथा अनुपस्थित का समुचित कारण बनाया गया हो, तब धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील माने जायेगे। किन्तु ज्यादा दिन के बाद अपील प्रस्तुत करने के कारण धारा 5, म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र	

के तहत म्याद की क्षमा पाने के अधिकारी आवेदकगण को नहीं माना है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील बिना गुण–दोष पर सुने प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क में यह भी बताया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल क्र0 5 का बटवारा का आदेश प्राथमिक रूप से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहंर था, क्योंकि जितने हिस्से के मालिक व भूमिस्वामी आवेदकगण थे, में उतना हिस्सा बटवारा में उन्हें नहीं दिलाया गया था तथा बटवारा का आदेश होने के बाद भी बटवारा के आदेश में मस्कूफियत कर जो खसरा नं0 आवेदक को मिले थे, वे अनावेदक को मिलना दर्ज कर दिया गया । जिससे सहायक बंदोबस्त अधिकारी का बटवारा का आदेश प्राथमिक रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनिमय का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसके सम्बंध में उदार दृष्टिकोण अपील म्याद मानी जानी चाहिये थी । किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के सम्बन्ध में कठोर आदेश देने के उपरांत भी उसे कायम रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । ऐसा आदेश स्थिर रखें जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाकर, अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण

किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 14.12.98 के विरूद्ध आवेदकगण ने दिनांक 13.07.2004 को लगभग 6 वर्ष पश्चात अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष प्रस्तुत की । जिसमें विलम्ब माफी के अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु शपथ–पत्र भी प्रमाणित नहीं है, अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने बावत दिन–प्रतिदिन का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया गया। फलस्वरूप आवेदकगण एवं अनावेदक की आपसी सहमति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर अपील तथ्यहीन होने से निरस्त कर दिया गया । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश की पुष्टि की है ।

6/ मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के आदेश को स्थिर रखने में कोई भूल नहीं की है । अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2006 यथावत रखा जाता है । फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य